

तारीख
हुकम

09/11/21

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

एरदेव vs देवबक्शा वर्ग

नम्बर
अदालत
हुकम में

06-10-24

~~पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता
उज्ज्वल | उ निवासी गुा मवाक पेश मली
हुआ। अपसर डिमा आउर उरुम
मवाक हेर डिमा 19-11-24 से पेश
है।~~

पुनः पत्रावली दिनांक 18/11/22 से जारीवादीगण
की तलबी हेतु निजत है, आदेशिका दि. 18/11/22 के
बाद वादी उज्ज्वल जारीवादीगण की तलबी नहीं कराई
गई है, अतः पत्रावली वाले जारीवादीगण की
तलबी हेतु दि. 19/11/22 को प्रेषित है।

19/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता
अनुपस्थित। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को
नियमानुसार तीन बार आवाजे लगवाई गई।
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5:50 PM
हो चुका है। न्यायाधीन में वादीगण एवं वादी
अधिवक्ता की पुनः एक बार आवाज लगवाई
गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण
एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित
नहीं आने से वादीगण द्वारा उरुत वाद अन्तर्गत
धारा 53 राजस्थान कायदकारी अधिनियम के
अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। डिफ्री पचा जरी है।

तिथि से इत्तहास पुताया
गया। पत्रावली फाइनल शुमार होकर जारील
पत्रावली तला नम्बर से कम है।

दिन
19/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा